कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर
(स्थापना शाखा)

पत्रांक ..../

प्रेषक :– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना शाखा, समस्तीपुर।

सेवा में,

जिला परिषद, समस्तीपुर अन्तर्गत प्रधानाध्यापक,
उच्च विद्यालय / उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ परियोजना बालिका उच्च विद्यालय/
उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय एवं नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, समस्तीपुर।

विषय :– स्थानान्तरण हेतु आवेदन–पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (~~नोजन~~ नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2006 की कंडिका – 10 के आलोक में वर्त्तमान पदस्थापन के तीन वर्षों के पश्चात ऐच्छिक स्थानान्तरण का प्रावधान है। उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, समस्तीपुर के निदेशानुसार अंकित करना है कि आप अपने विद्यालय में पदस्थापित नियोजित जिला परिषद माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक शिक्षक को सूचित करने का कष्ट करें एवं यदि कोई शिक्षक अपने स्थानान्तरण हेतु इच्छुक हैं, तो दिनांक **05.10.2017** से **20.10.2017** तक सभी कार्य दिवसों में आर0 एस0 बी0 इण्टर स्कूल काशीपुर में स्थित जिला परिषद माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन इकाई में निम्नांकित शर्त्त के अधीन उचित माध्यम से आवेदन–पत्र समर्पित करेंगें:–

1. आवेदक की वर्त्तमान पदस्थापना 31.08.2017 तक तीन वर्षों की हो।
2. आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र में हो।
3. आवेदन–पत्र उचित माध्यम से हो।
4. पूर्व में यदि यदि किन्ही ने आवेदन किया हो तो वे पुनः नया आवेदन देंगें। इस पत्र में निर्धारित तिथि से पूर्व एवं बाद में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना शाखा, समस्तीपुर।

ज्ञापांक 2171 समस्तीपुर, दिनांक 25/09/17

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र को इस सूचना के जिले के बेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

25/9/17

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना शाखा, समस्तीपुर।

25/9/17